समाहरणालय, मुंगेर

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदर मुंगेर के पत्रांक –763 दिनांक–09.05.2020 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के माध्यम से श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र "क" को अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1292/पं0, दिनांक–22.09.2020 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं उपस्थापन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर को नामित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–157/रा0, दिनांक–22.01.2021 के द्वारा श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–'क' में लगाये गए आरोप को प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया। संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के निष्कर्ष, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का विवरण निम्नवत् है :–

<u>आरोप संख्या :– 01.</u> श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, नियोजित पंचायत सचिव जो दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत हुए एवं 01.01.2015 से 31.12.2019 तक नियोजन में रहे,नियोजन में इनकी सेवा पांच साल पूरी हो चुकी है। अपने पदस्थापन काल में ग्राम पंचायत राज कुतलुपुर में वर्ष 2008 में पंचायत शिक्षक नियोजन वर्ष 2008 का पूर्ण प्रभार श्री देवानंद प्रसाद सिन्हा पंचायत सचिव से प्राप्त था। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि श्री कपिलदेव प्रसाद यादव,पंचायत सचिव ने कुतलुपुर ग्राम पंचायत में किये गये वर्ष–2008 में पंचायत शिक्षक नियोजन का अभिलेख प्रभार में रहने के बावजूद सूचना अधिकार के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही साथ इनके द्वारा कार्यालय एवं आयोग को दिग्भ्रमीत किया गया, उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली–3(1) का उल्लंघन है।

<u>आरोपी पंचायत सचिव का कारण पृच्छा</u> – उक्त आरोप के संबंध में आरोपी द्वारा कहा गया है कि आवेदक पंकज कुमार सिंह द्वारा मांगी गई सूचना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग,मुंगेर के पत्रांक 1478 दिनांक 22.06.2016 के द्वारा प्राप्त हुई। दिनांक 13.10.2016 को प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण दिनांक 29.11.2016 को मुझे कुतलुपुर पंचायत का प्रभार प्राप्त हुआ। आवेदक को दिनांक 16.09.2017 को भारतीय डाक द्वारा 31 पृष्ठों में सूचना उपलब्ध करा दिया गया है। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है। राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होकर इसकी जानकारी भी दी गई है। मेरे द्वारा कार्यालय एवं आयोग को दिगभ्रमित नहीं की गई है। आयोग द्वारा जो अर्थ–दण्ड लगाया गया है वह भी मेरे द्वारा 25.01. 2020 को 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) प्रखंड नजारत में जमा कर दिया गया है। इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाये। मेरे द्वारा कंडिका–01 में विस्तृत उल्लेख किया गया है मुझे इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय। मैं दिनांक 31.12.2019 को संविदा नियोजन से मुक्त हो गया हूँ तथा राज्य सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन भी किया गया है। मुझे इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य – श्री देवानन्द प्रसाद सिन्हा ने दिनांक 29.11.2016 को ग्राम पंचायत कुतलुपुर दियारा का सम्पूर्ण प्रभार श्री कपिलदेव प्रसाद यादव संविदा के आधार पर नियोजित तत्कालीन पंचायत सचिव को सौप दिया गया था। श्री सिन्हा द्वारा दिये गये प्रभार प्रतिविदन की छायाप्रति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कुतलुपुर दियारा शिक्षक नियोजन 2008 का प्रभार श्री कपिलदेव प्रसाद यादव को प्राप्त था, परन्तु वादी श्री पंकज कुमार सिंह के द्वारा मांगी गई सूचना जानबूझ कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। श्री यादव का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी द्वारा कहा गया है कि मेरे द्वारा राज्य सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन किया गया है, परन्तु इनके द्वारा वादी को ससमय एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण बार–बार स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बावजूद भी इनके द्वारा लोक सूचना आयोग बिहार, पटना एवं इस कार्यालय को भी दिग्भ्रमित किया गया है। जिसके लिए यह पूर्णतः दोषी हैं।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– श्री देवानंद प्रसाद सिंह पंचायत सचिव के द्वारा दिनांक 07.11. 2019 को प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर मुंगेर को दिये गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रभार सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह के द्वारा कुतलुपुर ग्राम पंचायत का प्रभार आरोपी श्री यादव को दिनांक 29.11.2016 को क्रमांक 01 से 141 तक संचिकाओं एवं अन्य का दिये गये प्रभार के क्रम में क्रमांक 04 पर शिक्षक नियोजन मेघा सूची तथा क्रमांक 06 पर प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन पंजी वर्ष 2008 का भी प्रभार सौंपा गया है। जिसकी पुष्टि प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर मुंगेर के पत्रांक 763 दिनांक 09.05.2020 के क्रमांक 03 पर स्पष्ट रूप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री देवानंद प्रसाद सिन्हा ने दिनांक 29.11.2016 को ही श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, संविदा के आधार पर नियोजित वर्त्तमान पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत कुतलुपुर का प्रभार सौंपा गया है। जिसमें ग्राम पंचायत कुतलुपुर दियारा शिक्षक नियोजन 2008 का भी प्रभार आरोपी श्री कपिलदेव प्रसाद यादव को सौंपा गया है। परन्तु वादी श्री पंकज कुमार सिंह को आरोपी श्री यादव के द्वारा जानबूझ कर मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके श्री यादव पूर्णतः दोषी हैं। राज्य सूचना आयुक्त,राज्य सूचना आयोग,बिहार,पटना के प्रधान आप्त सचिव के आदेश ज्ञापांक 1681 रा0सू0आ0,पटना दिनांक 22.06.2018 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आयोग से कहा गया कि लोक सूचना पदाधिकारी के पत्रांक 04 दिनांक 16.09.2017 द्वारा उन्हें दी गई सूचना अधूरी रहने के कारण आयोग के समक्ष अपील दायर किया गया है। उक्त के संबंध में आयोग द्वारा आरोपी को दिनांक 25.07.2017, 19.09.2017, 29.11.2017 द्वारा निदेशित किया गया था कि वे आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन दें तथा साथ ही सूचना देने में विलंब का स्पष्टीकरण भी प्रेषित करें। आरोपी ने उक्त आदेशों के अनुपालन में कोई प्रतिवेदन अथवा स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया। तदुपरांत आदेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा उनके वेतन से 10,000.00 रू0 का वितरण स्थगित करते हुए उन्हें पुनः स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया। उक्त आदेश के बावजूद संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी–सह–पंचायत सचिव ने सूचना देने के विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध आदेश दिनांक 26.03.2018 द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार इस वाद में पंचायत सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी (आरोपी को) स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में उनके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर मुंगेर के पत्रांक 621 दिनांक 19.04.2018 द्वारा राज्य सूचना आयोग के आदेश ज्ञापांक 234/रा0सू0आ0, दिनांक 10.04.2018 के आलोक में मो0 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित की राशि जमा करने हेतु आदेश निर्गत किया गया। जिसके अनुपालन में

आरोपी द्वारा दिनांक 25.01.2020 को नाजिर रसीद सं0 518834 द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित की राशि मो0 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये प्रखंड नजारत में जमा किया गया है।

<u>संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष</u> :– उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, पंचायत सचिव को राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी के द्वारा मांगी गयी पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण की प्रस्तुत करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी आरोपी द्वारा राज्य सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाना उनकी लापरवाही का द्योतक है।

विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण आरोपित पंचायत सचिव, श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(i), (ii), (iii) के तहत पूर्णरूपेण दोषी है, एवं बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (क) (ii) से कालबाधित नही है, संविदा सेवा में कार्यरत अवधि दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2019 के पदस्थापन के दौरान का मामला है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं निर्ष्कष से सहमत होते हुए, चुँकि अरोपी द्वारा राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या –ए– 5552/2017 में आदेश ज्ञापांक 234/रा0सू0आ0, दिनांक 10.04.2018 को अर्थदण्ड वेतन से वसूली का दिये गये शास्ति अधिरोपित आदेश के आलोक में श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर द्वारा दिनांक 25.01.2020 को नाजिर रसीद सं0 518834 द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि मो0 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये प्रखंड नजारत में जमा किया गया है, तद्नुसार मैं **रचना पाटिल, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह–दण्डाधिकारी, मुंगेर** श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त करती हूँ।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 465/पं0, दिनांक 22.02.2021

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, मुंगेर /अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी ,
मुंगेर।